एफडीआई नीति में संशोधन, प्रदेश में आएगा ज्यादा विदेशी निवेश

एफडीआई हुई अब एफसीआई पॉलिसी | 10% इक्विटी वाली विदेशी कंपनी भी आएगी नीति के दायरे में, कैबिनेट की हरी झंडी

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की रफ्तार बढ़ाने के लिए नीति में संशोधन किया गया है। अब सिर्फ 10 फीसदी इक्विटी वाली विदेशी कंपनी को भी एफडीआई के दायरे में रखा गया है। नीति का लाभ पाने के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 100 करोड़ रुपये रखी गई है।

इसके साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीति (एफडीआई) को अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड फॉर्च्यून ग्लोबल 500 एंड फॉर्च्यून इंडिया 500 इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023 कहा जाएगा। संक्षेप में इसे फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट (एफसीआई) नीति कहा जाएगा। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस संशोधन को मंजूरी दे दी गई।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि एक नवंबर 2023 की एफडीआई नीति में संशोधन किया गया है। आरबीआई और भारत सरकार की एफडीआई की नीति अलग है। यूपी ने अपनी नीति को पहले से ज्यादा लचीला बनाकर दायरा बढ़ा दिया है। इस संशोधन से अब ऐसी विदेशी कंपनियां भी प्रदेश में निवेश कर सकेंगी जो इक्विटी के साथ लोन या किसी अन्य स्रोत से पैसों की व्यवस्था करती हैं। इस निर्णय से प्रदेश में विदेशी निवेश बढ़ेगा।

उन्होंने बताया कि नीति में अर्हता के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 100 करोड़ रुपये रखी गई है। इसके लिए किए गए संशोधन को फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रूप दिया गया है। अब तक एफडीआई के तहत कंपनी के पास अपनी इक्विटी होती थी, लेकिन ज्यादातर कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए बाहर से लोन के साथ ही दूसरे माध्यमों से भी धन की व्यवस्था करती हैं।

इसे स्वीकृति देते हुए फैसला किया गया है कि यदि किसी कंपनी के पास इक्विटी सिर्फ 10 प्रतिशत है और 90 प्रतिशत निवेश राशि की व्यवस्था दूसरे स्रोतों से की होगी तो उसे भी नीति का लाभ मिलेगा।

फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में विदेशी कंपनी के लिए प्रिफरेंश शेयर, डिवेंचर्स, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बॉरोइंग, स्टैंड बाई लैटर ऑफ क्रेडिट, लैटर्स ऑफ गारंटी व अन्य डेब्ट सिक्योरिटी को भी शामिल किया गया है। आरबीआई द्वारा तय अन्य स्रोत पहले से भी मान्य होंगे।